**UPGK010052552026**

**न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।**

**जमानत प्रार्थना–पत्र सं0–2296/2026**

कृष्ण विजय उम्र– 29 वर्ष पुत्र स्व० तारेहिन्द निवासी ग्राम– चनऊ उर्फ बेतऊंवा थाना– बेलीपार, जिना– गोरखपुर।

............**आवेदक/अभियुक्त,**

प्रति

उत्तर प्रदेश राज्य ..............**प्रतिपक्षी,**

मुकदमा अपराध सं0–108/2026
धारा– 109(1), 121(1), 351(3), 352, 57, 132, 190, 191(1), 191(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 7 सी० एल० ए० एक्ट
थाना–बेलीपार, जनपद–गोरखपुर।

**आदेश**

**1.** जमानत का यह प्रार्थना–पत्र, आवेदक/अभियुक्त कृष्ण विजय के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, जो मुकदमा अपराध सं0–108/2026, धारा– 109(1), 121(1), 351(3), 352, 57, 132, 190, 191(1), 191(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व 7 सी० एल० ए० एक्ट, थाना–बेलीपार, जनपद–गोरखपुर के प्रकरण में जिला कारागार में निरुद्ध है।

**2.** मामले के तथ्यों के अनुसार वादी मुकदमा उ0नि0 शमशेर यादव पुलिस चौकी प्रभारी को दिनांक 10.05.2026 को समय करीब 10.00 बजे रात्रि सूचना मिली कि ग्राम चनऊ उर्फ बेतउआ के सामने हाईवे पर एक मोटर साइकिल का एक्सीडेंट हो गया है जिसमें चालक की मृत्यु हो गयी है। इस सुचना पर मैं उ0नि0 मय हमराह कां० सुरेन्द्र वर्मा, कां० संदीप निषाद के मौके पर पहुंचा तो पाया कि मौके पर कुछ लोग हाइवे पर पत्थर रख कर रोड जाम किये हुए हैं। मौके के स्थिति की गम्भीरता को देखते हुए मुझ उ०नि० द्वारा थाना पर सूचना दिया गया। इस सूचना पर थाना प्रभारी महोदय श्री विशाल कुमार सिह मय हमराह अन्य पुलिसकर्मीगण मौके पर पहुंचे, हम पुलिस वालों द्वारा मौके पर मौजूद भीड़ को समझा–बुझाकर हाइवे खोलवाने का प्रयास किया गया तो उपरोक्त लोगो द्वारा पुलिस कार्य सरकार में बाधा डालते हुए गाली गुप्ता व जान माल की धमकी देते हुए उग्र होकर ललकारते हुए कि घेर कर जान से मार दो सभी पुलिस वालो को कहते हुए जान से मारने की नियत से हम पुलिस टीम पर ईंट–पत्थर से प्राण घातक हमला करने लगे जिससे आस पास भय का माहौल हो गया, आस पास मौजूद लोगो द्वारा अपने घर के खिडकी दरवाज बन्द कर लिये गये जिसमे रि0का0 आकाश

भारती, का० अजीत यादव को गम्भीर चोटें आयीं। मौके पर भीड पर नियंत्रण पाते हुए 1. आदित्य पुत्र नगीना निवासी जीतपुर थाना गीडा जनपद गोरखपुर 2. अर्जुन पासवान पुत्र कन्हैया लाल 3. आशीष कुमार पुत्र राजन 4. करन पासवान पुत्र कन्हैया लाल 5. कृष्णविजय पुत्र तारेहिन्द निवासीगण ग्राम चनऊ उर्फ बेतउवा थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर 6. पुत्र इन्द्रदेव निवासी कलानी खुर्द थाना बेलीपार जनपद गोरखपुर को पुलिस की मौजूदगी में संज्ञेय अपराध कारित करने के सम्बन्ध मे व भय का माहौल व्याप्त करने के कारण पुलिस हिरासत में लिया गया अन्य व्यक्ति अंधेरे का लाभ लेकर भागने में सफल हुए।

**3.** विवेचना के क्रम में मजरूब रि०का० आकाश भारती का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया जिसमें उसके शरीर पर निम्न चोटें आयीं–

1. L/W 3cm, 3 stitched at right side parital region 11cm from right ear 14cm from right eyebrow.
2. C/o nausia, headache, vomiting & cpimolame.
3. C/o pain in right shoulder joint difficulty in flexion and extension.

**Opinion–** All the above injuries are caused by hard and blunt object. CT scan head suggested. X–ray of right shoulder joint is suggested.

**4.** आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक/अभियुक्त के विरूद्ध कथन अभियोजन बिल्कुल निराधार एवं असत्य है। आवेदक/अभियुक्त ने कोई जुर्म नहीं किया है मुकदमें में फर्जी तरीके से फंसा दिया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से यह भी स्पष्ट होता है कि चोटईल को ईट पत्थर से घायल किया गया है जबकि आवेदक/अभियुक्त के पास से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं दर्शायी गयी है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा कोई तोड़ फोड़, सड़क जाम या उपद्रव या शांति भंग नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त कथित घटना के दिनॉक व समय पर अपने घर पर भोजन करके अपने बरामदे में सो रहा था कि थाना बेलीपार की पुलिस जबरन आवेदक/अभियुक्त को घर से पकड़ कर अपने साथ थाने ले गयी और फर्जी तरीके से आवेदक/अभियुक्त का उक्त मुकदमें में चालान कर दिया। आवेदक/अभियुक्त का विगत कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। इन समस्त आधारों पर उनके द्वारा आवेदक/अभियुक्त को जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी।

**5.** उत्तर प्रदेश राज्य की तरफ से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक ने जमानत प्रार्थना–पत्र का प्रबल विरोध एवं खण्डन करते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर पुलिसकर्मीयों को गाली–गुप्ता देते हुए ईंट–पत्थर चलाकर उनपर हमला कारित करते हुए उन्हें गम्भीर उपहति पहुँचाया गया। कथित अपराध में आवेदक/अभियुक्त की सक्रिय भूमिका रही है। अतएव, मामले की गम्भीरता एवं आवेदक/अभियुक्त की कथित अपराध में भूमिका को देखते हुए उनके द्वारा जमानत प्रार्थना–पत्र निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

**6.** मैंने, आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता तथा उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की विद्वतापूर्ण तर्को को विस्तारपूर्वक सुना तथा जमानत पत्रावली का अवलोकन किया।

**7.** आवेदक/अभियुक्त प्रस्तुत प्रकरण में दिनांक 12.05.2026 से जिला कारागार में निरूद्ध है। कथित घटना व फर्द बरामदगी का कोई स्वतंत्र एवं निष्पक्ष साक्षी अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। आवेदक/अभियुक्त का कोई भी आपराधिक इतिहास अभियोजन द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रस्तुत मामले में सह–अभियुक्तगण आदित्य व आशीष कुमार की नियमित जमानत प्रार्थना–पत्र पूर्व में इस न्यायालय द्वारा स्वीकृत की जा चुकी है। अतएव मामले के सम्पूर्ण तथ्य व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए मामले के गुण–दोष पर कोई अभिमत व्यक्त किये बिना आवेदक/अभियुक्त की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

**8.** तद्नुसार, आवेदक/अभियुक्त कृष्ण विजय की तरफ से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र संख्या 2296/2026 स्वीकार किया जाता है। आवेदक/अभियुक्त द्वारा मु0–50,000/–(पचास हजार रुपये) का व्यक्तिगत बन्ध–पत्र तथा इतनी ही राशि के दो प्रतिभूओं सहित, सम्बन्धित मजिस्ट्रेट की संतुष्टि के अनुसार निष्पादित करने पर, निम्न आशय की वचनबद्धता प्रस्तुत करने पर उसे दौरान विचारण नियमित जमानत पर रिहा किया जाये–

1. आवेदक/अभियुक्त निष्पदित बन्ध–पत्र में वर्णित शर्तों के अनुसार विवेचना/विचारण में सहयोग करेगा,
2. आवेदक/अभियुक्त वर्णित अपराध जैसे किसी अपराध में लिप्त नहीं होगा।
3. आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से भिज्ञ व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी अन्य पुलिस अधिकारी को प्रकट न करने के लिये मनाया जा सके,
4. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान न्यायालय के समक्ष, व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा एवं अनावश्यक रूप से स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा।
5. आवेदक/अभियुक्त विचारण के दौरान मामले के गवाहों को डराएगा धमकाएगा नहीं।

**9.** किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में आवेदक/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिये विचारण न्यायालय स्वतंत्र होगी।

**दिनांकः** 02.06.2026

(राज कुमार सिंह)
सत्र न्यायाधीश, गोरखपुर।
**J.O. Code–UP**1889

Digitally signed by RAJ KUMAR SINGH
Date: 2026.06.02 16:28:09 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court